प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.05.2024

थाना कौशाम्बी पुलिस व साइबर टीम द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर विभिन्न राज्यों व जिलों से अपने खातों में अवैध तरीके से रुपये लेकर ठगी करने वाले अन्तर्राजीय गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 01 टैब, 41 एटीएम, 05 चैक बुक, 04 बोटर आईडी कार्ड, 04 आधारकार्ड, 04 पैन कार्ड, 02 डीएल व घटना में प्रयुक्त 01 होंडा सिटी गाड़ी बरामद।

दिनांक 04.05.2024 को थाना कौशांबी पुलिस टीम व साइबर टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर फर्जी कम्पनी बनाकर विभिन्न राज्यों व जिलों से अपने खातो में अवैध तरीके से रुपये लेकर ठगी करने वाले 05 अभियुक्त 1. आकाश त्यागी पुत्र श्री नरेश त्यागी निवासी म0 नं0 2 गली नं0 03 न्यू डिफेन्स कालोनी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष, 2. मनोज कुमार पुत्र महकार सिंह निवासी 230 न्यूडिफेस कालोनी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 52 बर्ष, 3. अमरेश कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी प्लाट नं0 256 धुनेला सोहना रोड़ गुरूग्राम हरियाणा उम्र 31 वर्ष, 4. नमन जैन पुत्र नीरज जैन निवासी मोहल्ला बंजारंन कस्बा नकुड थाना नकुड जिला सहारनपुर हाल पता सी- 1128 आदित्य अरवन होम्स आदित्य वर्ड सिटी बेव सिटी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष, 5. नितिश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी 33 ए, एफ ब्लाक नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को मैक्स हास्पिटल की पार्किंग के पास कौशांबी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 07 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 01 टैब, 41 एटीएम, 05 चैक बुक, 04 बोटर आईडी कार्ड,04 आधारकार्ड, 04 पैन कार्ड, 02 डीएल व घटना में प्रयुक्त 01 होंडा सिटी गाड़ी बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>: गिरफ्तार अभियुक्तों से पुछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि गैंग के सभी सदस्य मिलकर फर्जी / गलत पते पर कम्पनी खोलकर व जरूरत मंद लोगो को तलाशकर उनके नाम पर फर्जी कम्पनी बनाकर एवं फर्जी पते पर बैक खाता खुलवाकर उसके बैकिग सम्बन्धी दस्तावेज अपने पास रख लेते थे और उनको कमीशन के रूप मे पैसे देता दे देते थे। उनके बैक खातो के लेने देन का कन्ट्रोल इनके पास ही होता था। बैको मे खाता खुलवाने एवंम बडी धनराशि निकलवाने मे मनोज कुमार सिंह को जानकारी थी। वही सब बैको मे खाते खुलवाते थे। यह सभी लोग मिलकर फर्जी कम्पनी के नाम के खाते खोलकर देश के अन्य राज्यों व जिलों के लोगो के साथ जालसाजी करके रुपये अपनी कम्पनी के खातो मे ले लेते हैं व एटीएम कार्ड व अन्य साधनो से पैसा खातो से निकाल लेते है। कम्पनी बनाने तथा बैक खाता खुलवाने मे जो भी दस्तावेज लगाते थे उनका पता फर्जी होता था। जिससे इन्हें कोई पकड नहीं पाता था। जो रुपये प्राप्त होते थे उसका बटबारा मनोज कुमार सिंह जो कि गैग का लीडर है के द्वारा किया जाता था। इन लोगो को जो भी फर्जी कम्पनी बनाने के लिये नाम पते की आवश्यकता होती थी वह नितिश शर्मा ही उपलब्ध कराता था। मनोज कुमार सिंह

व नमन जैन तथा गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगो को धोखा देकर ठगी करने का काम करते है । पता बदल बदल कर बैक बालो की मदद से बैक मे कम्पनियो के नाम से खाता खुलवाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पताः –

1. आकाश त्यागी पुत्र श्री नरेश त्यागी निवासी म0 नं0 2 गली न0 03 न्यू डिफेन्स कालोनी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।
2. मनोज कुमार पुत्र महकार सिंह निवासी 230 न्यूडिफेस कालोनी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 52 बर्ष।
3. अमरेश कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी प्लाट न0 256 धुनेला सोहना रोड गुरूग्राम हरियाणा उम्र 31 वर्ष।
4. नमन जैन पुत्र नीरज जैन निवासी मोहल्ला बंजारंन कस्बा नकुड थाना नकुड जिला सहारनपुर हाल पता सी- 1128 आदित्य अरवन होम्स आदित्य वर्ड सिटी बेव सिटी गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।
5. 5. नितिश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी 33 ए, एफ व्लाक नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 07 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 01 टैब, 41 एटीएम, 05 चैक बुक, 04 बोटर आईडी कार्ड,04 आधारकार्ड, 04 पैन कार्ड, 02 डीएल व घटना में प्रयुक्त 01 होंडा सिटी गाड़ी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम व साइबर टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03-05-24 को वादी श्री शाहरुख खान पुत्र हाजी मूसा निवासी गली नं0 3, 30 फुटा रोड, हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने तहरीर दी गयी कि मेरे चाचाओ द्वारा द्वारा छुरे से एक राय होकर मेरे पिता हाजी मूसा उम्र करीब 55 वर्ष की हत्या कर दी है, तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देकर भाग गये है, जिस पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 04-05-24 को एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेरठ तिराहे के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त अहसान उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मृतक हाजी मूसा मेरा सगा भाई था, हमारी पुस्तैनी जमीन मकान व घेर, गांव सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद में स्थित है, जिसमें

मेरे तीन भाई इदरीश, बिल्लू, व शेरु रहते है। गांव के मकान व घेरा का बंटवारा नही हुआ है, मैं व मेरा भाई गुलजार उर्फ सुन्दर गांव के मकान व घेर के हिस्से को बेचना चाहते थे। जिसके लिए अपने बड़े भाई हाजी मूसा से बार बार हिस्सा बंटवारे की बात कही लेकिन हाजी मूसा हिस्सा बांटने को मना कर देता था। मेरे मन में तभी से हाजी मूसा को सबक सिखाने की बात आ गयी थी, मैंने अपने भाई गुलजाल उर्फ सुन्दर को भी इस बारे में कई बार कहा था, हाजी मूसा के पास अच्छी खासी प्रोपर्टी है, मैं व गुलजार उर्फ सुन्दर हाजी मूसा के पास दिनांक 02-5-24 की शाम को आये व हिस्सा बंटवारा करने के लिए कहने लगे तो हाजी मूसा ने बंटवारा करने से मना कर दिया, तब मेरे भाई गुलजार उर्फ सुन्दर ने गुस्से से हाथ में लिए चाकू से हाजी मूसा पर कई वार किये, और हम दोनो भाई वहां से भाग गये।

अभि0 का नाम व पता-
अहसान पुत्र शाहबुद्दीन निवासी गली न0 3, तीस फुटा रोड हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम—
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।